# FIRST INFORMATION REPORT
## Under Section 173 B.N.S.S.

## (प्रथम सूचना रिपोर्ट )
## अंतर्गत धारा 173 बी. एन. एस. एस.

1. **District (जिला):** ACB DISTRICT **P.S. (थाना):** C.P.S Jaipur **Year (वर्ष):** 2026

2. **FIR No. (प्र.सू.रि.सं):** 0187 **Date and Time of FIR (एफआईआर की तिथि/समय):** 07/07/2026 17:12 बजे

| S.No. (क्र.सं.) | Acts (अधिनियम) | Sections (धाराएँ) |
|---|---|---|
| 1 | भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (2018 के अधिनियम संख्या 16 द्वारा संशोधित) | 7 |
| 2 | भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (2018 के अधिनियम संख्या 16 द्वारा संशोधित) | 7A |
| 3 | भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (2018 के अधिनियम संख्या 16 द्वारा संशोधित) | 12 |
| 4 | भारतीय न्याय संहिता (बी एन एस), 2023 | 61(2) |

3. (a) **Occurrence of offence (अपराध की घटना):**
   1. **Day(दिन):** दरमियानी दिन **Date From (दिनांक से):** 24/06/2026 **Date To (दिनांक तक):** 02/07/2026
      **Time Period (समय अवधि):** पहर **Time From (समय से):** 15:00 बजे **Time To (समय तक):** 14:42 बजे

   (b) **Information received at P.S. (थाना जहाँ सूचना प्राप्त हुई):** **Date (दिनांक):** 07/07/2026 **Time (समय):** 15:00 बजे

   (c) **General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ) :** **Entry No. (प्रविष्टि सं.):** 005 **Date & Time (दिनांक एवं समय)** 07/07/2026 17:12:51 बजे

4. **Type of Information (सूचना का प्रकार):** लिखित

5. **Place of Occurrence (घटनास्थल):**
   1. (a) **Direction and distance from P.S. (थाने से दिशा और दूरी):** SOUTH, 50 किमी **Beat No. (बीट सं.) :** NOT APPLICABLE

      (b) **Address(पता):** RAMGANJ AYUKTALYA JAIPUR NORTH

      (c **In case, outside the limit of this Police Station, then (यदि थाना सीमा के बाहर हैं तो)**

      **Name of P.S (थाना का नाम):** **District(State) (जिला (राज्य) ):**

6. **Complainant / Informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता):**

(a) **Name(नाम):** SUNIL SHARMA

(b) **Father's Name (पिता का नाम):** SIYASHARAN

(c) **Date/Year of Birth (जन्म तिथि/ वर्ष):** 1988 **(d)Nationality(राष्ट्रीयता):** INDIA

(e) **UID No(यूआईडी सं.):**

(f) **Passport No. (पासपोर्ट सं.):**
**Date of Issue (जारी करने की तिथि):** **Place of Issue (जारी करने का स्थान):**

(g) **Id details (Ration Card,Voter ID Card,Passport,UID No.,Driving License,PAN) (पहचान विवरण( राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र,पारपत्र,आधार कार्ड सं,ड्राइविंग लाइसेंस,पैन)):**

| S.No. | Id Type | Id Number |
|---|---|---|

(h) **Occupation (व्यवसाय):**

(i) **Address(पता):**

| S.No. (क्र. सं.) | Address Type (पता का प्रकार) | Address (पता) |
|---|---|---|
| 1 | वर्तमान पता | 1 C 161, SHASTRINAGAR JAIPUR, JAIPUR CITY (NORTH), RAJASTHAN, INDIA |
| 2 | स्थायी पता | 1 C 161, SHASTRINAGAR JAIPUR, JAIPUR CITY (NORTH), RAJASTHAN, INDIA |

(j) **Phone number (दूरभाष न.):** **Mobile (मोबाइल न.):**

7. **Details of known/suspected/unknown accused with full particulars (ज्ञात/संदिग्ध/अज्ञात अभियुक्त का पुरे विवरण सहित वर्णन):**

**Accused More Than(अज्ञात आरोपी एक से अधिक हो तो संख्या):**

| S.No. (क्र.सं.) | Name (नाम) | Alias (उपनाम) | Relative's Name (रिश्तेदार का नाम) | Address (पता) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SURENDRA SWAMI | | पिता:BANSHIDHAR SWAMI | 1. JUNSIYA,KISHANGARH RENWAL,JAIPUR RURAL,RAJASTHAN,INDIA |
| 2 | BHAIRURAM YADAV | | पिता:LATE. MANGLARAM YADAV | 1. CHARANWAS SITARAMPURA,CHOMU,JAIPUR (WEST),RAJASTHAN,INDIA |

8. **Reasons for delay in reporting by the complainant/informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):**

9. **Particulars of properties of interest (Attach separate sheet, if necessary)**
**(सम्बन्धित सम्पत्ति का विवरण( यदि आवश्यक हो, तो अलग पृष्ट नत्थी करें)):**

| S.No. (क्र.सं.) | Property Category (सम्पत्ति श्रेणी) | Property Type (सम्पत्ति के प्रकार) | Description (विवरण) | Value(In Rs/-) (मूल्य(रु में)) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | सिक्के और मुद्रा | रुपये | 500-500 रूपये के 102 नोट कुल राशि 51000/- रूपये भारतीय चलन मुद्रा के एवं शेष 500-500 के 98 नोट भारतीय मनोरंजन बैंक/डमी करेंसी | 1,00,000.00 |

10. **Total value of property stolen(In Rs/-)**
**(चोरी हुई संपत्ति का कुल मूल्य(रु में) ):** 1,00,000.00

11. **Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण न., यदि कोई हो):**

| S.No. (क्र.सं.) | UIDB Number (यू.आई.डी.बी. संख्या) |
|---|---|

12. **First Information contents (Attach separate sheet, if necessary)**
**(प्रथम सूचना तथ्य(यदि आवश्यक हो , तो अलग पृष्ठ नत्थी करे)):**

प्रकरण के हालात इस प्रकार से निवेदन है कि दिनांक 24.06.2026 को श्री मनोज कुमार गुप्ता, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर नगर चतुर्थ जयपुर द्वारा अपने कार्यालय कक्ष में बुलाकर पूर्व से सामने बैठे हुए व्यक्ति परिवादी श्री सुनिल शर्मा एवं परिवादी के मित्र श्री नरेन्द्र सिंह के रूप में परिचय करवाते हुये उसके द्वारा पेश हस्तलिखित प्रार्थना पत्र पर मन् पुलिस निरीक्षक के नाम पृष्ठांकित करते हुये नियमानुसार अग्रिम कार्यवाही करने हेतु सुपुर्द किया, इस पर मन पुलिस निरीक्षक द्वारा प्रार्थना पत्र व परिवादी श्री सुनील को हमराह लेकर अपने कार्यालय कक्ष में आया और परिवादी श्री सुनील शर्मा को अपना परिचय देकर नाम पता पूछा तो उसने अपना नाम सुनील शर्मा पुत्र स्व. श्री सिया शरण शर्मा, निवासी 1-सी-161, गुर्जर बस्ती, शास्त्रीनगर जयपुर मोबाईल नम्बर होना बताया। परिवादी सुनील शमा द्वारा हस्तलिखित प्रार्थना पत्र इस आशय का पेश किया कि "सेवा में श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो राज. जयपुर नगर चतुर्थ विषयः- आरोपी को रिश्वत लेते रंगे हाथ पकडवाने बाबत। महोदय, निवेदन है कि मेरा नाम सुनील शर्मा पुत्र स्व. श्री सियाशरण शर्मा निवासी 1-सी-161, शास्त्रीनगर जयपुर का निवासी हूं मेने जमीन ग्राम चारणवास, पटवार हल्का अलीसर तहसील चौमू जिला जयपुर मे भूमि लगभग 0.5880 हैक्टयर खरीद करी है जिसकी रजिस्ट्री 18/12/2025 में हई है जिसका नामान्तरण खुलवाने हेतु मैने पटवार हलका आलीसर पटवारी श्री सुरेन्द्र कुमार स्वामी के पास नामान्तरण खुलने हेतु निवेदन किया था तो उन्होने मेरे को साफ मना कर दिया जिसके बाद मैने दिनांक 16.06.2026 को एक प्रार्थना पत्र नायब तहसीलदार पटवार हल्का गोविन्दगढ को दिया था। इसी दौरान श्री भैरू दलाल ने हमे बताया कि पटवारी जी बगैर पैसा आपका काम नही करेगे, इसके बाद हम पुनः पटवारी जी सुरेन्द्र कुमार स्वामी के पास गये तो उन्होने कहा की भैरू से बात करो मैने उनको बताया हुआ है। इसके बाद पुनः हम भैरू के पास गये तो भैरू ने कहा कि पटवारी जी नामांतरण खोलने की एवज में एक लाख रूपये मांग रहे है। जब तक आप पैसा नही दोगे आपका काम नही होगा। मेरा जायज काम है इसके लिये मे पटवारी व दलाल भैरू को रिश्वत राशि नहीं देना चाहता और उसे रंगे हाथो पकडवाना चाहता हु। मेरा उक्त पटवारी व दलाल से कोई पुराना लेन देन नहीं है ना ही उससे मेरी कोई रंजिश है। इनके विरूद्ध कार्यवाही करने की कृपा करे। धन्यवाद। प्रार्थी सुनील शर्मा पुत्र स्व. श्री सियाशरण शर्मा निवासी 1-सी-161, शास्त्रीनगर जयपुर मो. दिनांक 24.06.2026 । परिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के अवलोकन एवं मजीद दरियाफ्त की गयी तो परिवादी ने बताया कि पटवारी सुरेन्द्र कुमार स्वामी अपने निजी व्यक्ति भैरू के मार्फत हमारे से एक लाख रूपये रिश्वत की मांग कर मुझे मेरे जायज काम के लिए मुझे बहुत परेशान किया हुआ है। परिवादी के प्रार्थना पत्र के अवलोकन व मजिद दरियाप्त से मामला प्रथम दृष्टया रिश्वत मांग का पाया जाता है। इस हेतु रिश्वत राशि मांग का गोपनीय सत्यापन के लिए परिवादी को समझाईश की गयी तो परिवादी ने बताया कि मुझे आवश्यक कार्य होने के कारण आज में सत्यापन के लिए नहीं जा सकता। सत्यापन कार्यवाही हेतु मैं जल्द ही आपसे संपर्क करूंगा। इस पर परिवादी को गोपनीयता बनाए रखने बाबत आवश्यक हिदायत की जाकर कार्यालय से रूखसत किया गया। सत्यापन से जैसी सूरत होगी वैसी कार्यवाही की जावेगी। दिनांक 01.07.2024 को समय 01.50 पीएम पर परिवादी श्री सुनील शर्मा मन् पुलिस निरीक्षक के

समक्ष उपस्थित कार्यालय आया तथा बताया कि आज मैं पटवारी से मिलने जाउंगा। इस पर मन् पुलिस निरीक्षक ने श्री आलोक कुमार स.उ.नि. को कार्यालय कक्ष में बुलाकर परिवादी श्री सुनील शर्मा व श्री आलोक कुमार स.उ.नि. एवं श्री हवा सिंह हैड कानि का आपस में परिचय करवाया। तत्पश्चात् कार्यालय के मालखाने से विभागीय डिजीटल वॉईस रिकॉर्डर मय नया मैमोरी कार्ड DAICHI Micro SD 32 GB मंगवाकर उनका खाली होना सुनिश्चित किया जाकर परिवादी को विभागीय डिजीटल वाईस रिकार्डर को चलाने व बंद करने की प्रक्रिया समझायी गई तथा रिश्वत मांग सत्यापन की प्रक्रिया से अवगत कराया गया। तत्पश्चात् मन् पुलिस निरीक्षक ने डिजीटल वॉईस रिकॉर्डर मय मैमोरी कार्ड सउनि श्री अलोक कुमार को सुपुर्द कर साथ में हवा सिंह हैड कानि. 09 को परिवादी सुनील शर्मा के साथ, बाद मुनासिब हिदायत रिश्वत मांग सत्यापन हेतु कार्यालय से रवाना किया। तत्पश्चात समय 07.30 पीएम पर इस समय श्री आलोक कुमार सउनि मय हवा सिंह हैड मय परिवादी श्री सुनिल कुमार मय उसका साथी नरेन्द्र सिंह कार्यालय हाजा में आये और श्री आलोक कुमार सउनि ने मुझे डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर बंद हालात में सुपुर्द करके अवगत करवाया कि मैं निर्देशानुसार कार्यालय से डिजिटल वॉयस रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड के कार्यालय से रवाना होकर समय करीब 3.30 पीएम पर आलीसर से करीब 4 किमी पहले पहुचे, जहा परिवादी को डिवीआर सुपुर्द कर मांग सत्यापन की वार्ता रिकॉर्ड करने हेतु कहा जिस पर समय 3.33 पीएम पर परिवादी व उसके साथी को डिवीआर चालु कर मांग सत्यापन हेतु रवाना किया। कुछ समय बाद हवासिंह हैड कानि. के पास परिवादी सुनील शर्मा का फोन आया कि दलाल भैरू हमे पटवारी से मिलाने के लिए पास ही कही ले जा रहा है। जिन्हे हमने गाडी में बैठकर परिवादी, उसके एक साथी और एक अन्य व्यक्ति को गाडी में बैठकर जाते हुए देखा था। समय करीब 5.22 पीएम पर परिवादी व उसका साथी हमारे पास वापस आ गये। परिवादी ने डिवीआर बन्द करके मुझे संभलाया था और हमे मौखिक रूप से बताया कि दलाल भैरू हमे पटवारी से मिलवाने के लिए हस्तेडा के पास भूतेडा गांव में ले गया था, जहा पटवारी सुरेन्द्र  कुमार स्वामी  से हमारी मुलाकात करवायी थी जहा मेरे काम के बदले पटवारी ने एक लाख रूपये रिश्वत राशि की मांग की थी एवं दलाल ने भी रास्ते में हमारे काम की एवज में एक लाख रूपये की मांग की थी जिसको मैने डिवीआर में रिकॉर्ड कर लिया था। उसके उपरान्त हम वहा से रवाना होकर कार्यालय पहुचकर डीवीआर मैने आपको सुपुर्द किया है। इसके बाद मन् पुलिस निरीक्षक ने परिवादी से पूछा तो परिवादी सुनील शर्मा ने उक्त बातो की ताईद की है। मन् पुलिस निरीक्षक ने डिवीआर को चालु कर सुना तो उक्त बातो की ताईद हुई तथा डीवीआर को पुनः बंद किया। परिवादी ने मन् पुलिस निरीक्षक को कहा कि कल सरेन्द्र स्वामी मेरे से पैसा लेगा जिस पर मन् पुलिस निरीक्षक ने परिवादी को रिश्वत में दी जाने वाली राशि एक लाख रूपये दिनांक 02.07.2026 को समय करीब 7 एएम पर लाने हेतु कहा। इसके बाद परिवादी को गोपनीयता की आवश्यक हिदायत देकर रवाना किया। उक्त डीवीआर को सुरक्षित कार्यालय की आलमारी में रखा, डीवीआर में दर्ज सत्यापन वार्ता की फर्द ट्रांसक्रिप्ट आईन्दा स्वतंत्र गवाहान की उपस्थिती में पृथक से तैयार की जावेगी तथा इस श्री हवा सिंह हैड कानि. 09 को ट्रैप कार्यवाही हेतु ट्रैप बॉक्स तैयार करने स्वतंत्र गवाहान् को कार्यालय उपस्थित होने बाबत पाबंद करने हेतु निर्देशित किया। दिनांक 02.07.2026 को समय 07.00 एएम पर पूर्व से पाबन्द शुदा स्वतंत्र गवाहान श्री मोनू टोपिया व श्री महेश सारवान उपस्थित कार्यालय आये। स्वतंत्र गवाहान को मन् पुलिस निरीक्षक ने स्वयं का परिचय देकर उनका नाम पता पूछा तो एक ने अपना नाम श्री मोनू टोपिया हाल कनिष्ठ सहायक मालवीय नगर जोन, नगर निगम जयपुर तथा दूसरे ने स्वयं नाम श्री महेश सारवान हाल कनिष्ठ सहायक मालवीय नगर जोन, नगर निगम जयपुर होना बताया। तत्पश्चात परिवादी श्री सुनील शर्मा के कार्यालय उपस्थित आने पर परिवादी व स्वतंत्र गवाहान श्री मोनू टोपिया व श्री महेश सारवान से आपस में परिचय करवाया तथा उक्त दोनो स्वतंत्र गवाहान से टै्रप कार्यवाही में स्वतंत्र गवाह बनने की सहमति चाहने पर उक्त दोनो स्वतंत्र गवाहान ने अपनी-अपनी मौखिक सहमति प्रदान की। इसके पश्चात परिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पढवाया जाकर दोनो स्वतंत्र गवाहान के हस्ताक्षर करवाये गये। समय 08.15 एएम पर मन् पुलिस निरीक्षक ने परिवादी श्री सुनील शर्मा को संदिग्ध अधिकारी श्री सुरेन्द्र  कुमार स्वामी  को रिश्वत में दी जाने वाली राशि पेश करने के लिये कहा, जिस पर परिवादी श्री सुनील कुमार शर्मा ने कहा कि मेरे पास एक लाख रूपये की व्यवस्था नहीं हो पाई है इसलिए मै 51,000 रूपये ही लाया हू। परिवादी ने अपने पास से प्रचलित भारतीय मुद्रा के 500-500 रूपये के 102 नोट की 01 गड्डी कुल राशि 51,000 रूपये व 500 रूपये जैसे दिखने वाले "भारतीय मनोरंजन बैंक" की डमी करेंसी 98 नोट कुल राशि 49,000 रूपयें की एक गड्डी निकालकर रिश्वत राशि के रूप में पेश कियें, इस प्रकार उक्त राशि कुल 1,00000/-एक लाख रूपयें (51,000/-रूपये प्रचलित भारतीय मुद्रा एवं 49000/-रूपयें डमी करेंसी) पेश किये। परिवादी द्वारा पेशशुदा नोटो को स्वतंत्र गवाहान को दिखाया जाकर नोटो के नम्बरो का अंकन फर्द में करवाकर, नम्बरों का मिलान गवाहान से करवाया गया। इसके पश्चात मन् पुलिस निरीक्षक ने प्रधान आरक्षी केन्द्र भ्र. नि. ब्यूरो जयपुर से श्रीकिशन कानि. न. 182 को बुलाया जाकर कार्यालय की अलमारी से फिनोफ्थलीन पाउडर की शीशी को निकलवाया जाकर कमरे में रखी टेबल पर एक अखबार बिछवाया जाकर उस अखबार पर उक्त 500-500 रूपये के 102 नोटो एवं डमी करेंसी के 500-500 रूपये के 98 नोटो पर पृथक-पृथक फिनोफ्थेलीन पाउडर लगवाने हेतु श्रीकिशन कानि. न. 182 से कार्यालय की आलमारी से फिनोफ्थलीन पाउडर की शीशी निकलवाकर गवाहान की मौजूदगी में फिनोफ्थलीन पाउडर एक अखबार पर डालकर उक्त सभी नोटों पर फिनोफ्थलीन पाउडर लगवाया जाकर, 500- 500 रूपये के डमी नोटो (भारतीय

मनोरजन बैक) को भारतीय चलन मुद्रा के प्रचलित नोटो की 500- 500 रूपये की गड्डी में रखा जाकर, परिवादी श्री सुनील शर्मा की जामा तलाशी गवाह श्री मोनू टोपीया से लिवाई गई तो परिवादी के पास उसके मोबाईल के अलावा अन्य कोई आपत्तिजनक वस्तु नहीं छोड़ी गई। तत्पश्चात उक्त पाउडर युक्त नोट 1,00000 रुपये (51,000 रूपयें प्रचलित भारतीय मुद्रा व 49,000 रूपयें डमी करेंसी )परिवादी श्री सुनील शर्मा की पहनी हुई पेंट की दाहिनी जेब में श्रीकिशन कानि. न. 182 से रखवाये गये। परिवादी को हिदायत दी गई कि उक्त पाउडर युक्त नोटों को आरोपी द्वारा मांगने पर ही निकाल कर रिश्वत के रूप में देवें तथा किसी भी सूरत में आरोपी से हाथ नहीं मिलावें, केवल हाथ जोड़कर ही अभिवादन करें तथा आरोपी द्वारा रिश्वती राशि प्राप्त करने के बाद परिस्थिति अनुसार अपनी उगली से कान खुजालकर या मन् पुलिस निरीक्षक के मोबाईल नम्बर पर मिसकॉल कर ट्रेप पार्टी को मुकरर्र ईशारा करें। परिवादी को यह भी हिदायत दी गई कि आरोपी रिश्वती राशि लेकर कहां रखते है इसका पूर्ण रूप से ध्यान रखे तथा गवाहान को हिदायत दी गई कि वह परिवादी के आसपास रहकर परिवादी व आरोपी के बीच होने वाली आपसी रिश्वत लेन-देन की वार्ता को सुनने व रिश्वती राशि के लेन-देन को देखने का प्रयास करें। इसके बाद गवाहान व परिवादी को फिनोफ्थलीन पाउडर व सोडियम कार्बोनेट की आपसी रासायनिक प्रक्रिया के बारे में विस्तार से दृष्टान्त देकर समझाने के लिए प्लास्टिक के एक गिलास में साफ पानी डलवाकर उसमें सोडियम कार्बोनेट पाउडर की एक चम्मच डालकर घोल तैयार करवाकर उपस्थितगणों को दिखाया गया घोल का रंग रंगहीन रहा, उसके बाद श्रीकिशन कानि. न. 182 के हाथों की अंगुलियों को उक्त सोडियम कार्बोनेट पाउडर के घोल में डुबोकर धुलवाया गया तो धोवन का रंग गुलाबी हो गया, जिसके बारे में उपस्थित गवाहान व परिवादी को समझाया गया कि जो भी इन पाउडर लगे नोटों को हाथ लगायेगा जिसके हाथ इस प्रक्रिया के अनुसार धुलवाने से पानी का रंग गुलाबी हो जावेगा। तत्पश्चात उस अखबार को जिस पर रखकर नोटों पर फिनोफ्थलीन पाउडर लगवाया था, उसको तथा प्लास्टिक के गिलास को जलवाकर नष्ट करवाया गया। श्री किशन कानि. से गुलाबी घोल को फिकवाकर उसके हाथों को साबुन व पानी से अच्छी तरह साफ करवाया जाकर तथा ट्रेप पार्टी के सदस्यों व गवाहान की एक दूसरे से तलाशी लिवाये जाने पर किसी के पास कोई आपत्तिजनक वस्तु आदि नहीं छोडे़ गये। गवाहान व परिवादी तथा ट्रेप पार्टी के सदस्यों के हाथों को साबुन व पानी से साफ करवाया गया। ट्रेप कार्यवाही हेतु साथ ले जाने वाले नये प्लास्टिक के गिलास व नई कांच की शीशीयों को भी अच्छी तरह साफ करवाकर तथा सुखा कर ट्रेप बॉक्स में रखा गया। कार्यालय की आलमारी से रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता का एसडी कार्ड लगा हुआ डिजिटल वाईस रिकॉर्डर निकाल कर परिवादी श्री सुनील शर्मा को सुपुर्द किया तथा परिवादी को रिश्वत लेन-देन के समय होने वाली वार्ता को रिकॉर्ड करने की हिदायत दी गई। उक्त कार्यवाही की पृथक से विस्तृत फर्द पेशकशी एवं सुपुर्दगी नोट व दृष्टांत फिनोफ्थलीन पॉउडर एवं सोडियम कार्बोनेट तथा सुपुर्दगी डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड तैयार कर शामिल पत्रावली किया गया व श्रीकिशन कानि. से फिनोफ्थलीन पाउडर की शीशी को कार्यालय की अलमारी में रखवाया गया तथा श्रीकिशन कानि. को बाद कार्यवाही के उसके कार्यालय प्रधान आरक्षी केन्द्र भ्र. नि. ब्यूरो जयपुर के लिए रवाना किया गया। मन् पुलिस निरीक्षक ने आरोपी श्री सुरेन्द्र कुमार स्वामी पटवारी पटवार हल्का आलीसर को डिटने करने के लिए श्री सत्येन्द्र सहायक उप निरीक्षक व श्री जितेन्द्र कानि, बलराम कानि व दिनेश कानि को आवश्यकत हिदायत देकर आलीसर गांव के लिए सरकारी वाहन मय चालक के रवाना किया। समय 09.15 एएम पर मन् पुलिस निरीक्षक रामजीलाल मय अति. पुलिस अधीक्षक श्री मनोज कुमार गुप्ता, श्री आलोक कुमार सउनि, श्री विशाल वरिष्ठ सहायक, श्री हवा सिंह हैड कानि 09, श्री ओमप्रकाश कानि. 438, श्रीमती नीलम चमोली म.कानि. 22, श्री उदय कानि0 नं0 170 व श्री अशोक कुमार हैड कानि. 54, व स्वतंत्र गवाह श्री महेश सारवान मय लैपटॉप प्रिन्टर, टै्रप बॉक्स, कैमरा अन्य आवश्यक सामग्री जरिये सरकारी वाहनो बोलेरों आरजे 14 यूएल5814 व मिनी बस आरजे 14 पीई 8775 से तथा परिवादी श्री सुनिल शर्मा, नरेन्द्र सिंह, आलोक कुमार सउनि, दयाचन्द हैड कानि. 07 व स्वतन्त्र गवाह श्री मोनू टोपिया को परिवादी के निजी वाहन से गोपनीय कार्यवाही हेतु ब्यूरो कार्यालय से चौमूं के लिए रवाना होकर समय 10.30 एएम पर मन् पुलिस निरीक्षक मय हमराहियान के सीकर रोड टाटियावास टोल के आगे कुछ दूरी पर रोड के एक तरफ साईड में वाहनो को खडा किया, जहा कुछ समय पश्चात परिवादी मय हमराह के मन् टीएलओ के पास पहुचा। तत्तपश्चात परिवादी श्री सुनिल शर्मा के मोबाईल नम्बर से दलाल श्री भैरूराम यादव के मोबाईल नम्बर को फोन करवाया गया तो दलाल का फोन स्वीच ऑफ होने के कारण यथा स्थान पर ही आरोपी दलाल से सम्पर्क होने तक यथा स्थान ही गोपनीय रूप से मुकिम होने का निर्णय लिया गया। एक दो बार पुनः परिवादी से आरोपी श्री भैरूराम को फोन करवाया गया तो आरोपी श्री भैरूराम को फोन बंद होना पाया गया। तत्पश्चात परिवादी के स्वयं के मोबाईल नम्बर से दलाल भैरूराम यादव के मोबाईल नम्बर पर करीब समय 12.55 पीएम पर फोन पर वार्ता हुई तो परिवादी ने बताया कि आरोपी भैरूराम दलाल ने कुछ समय में थाना मोड चौमू के पास एचपी पेट्रोल पम्प के पास चाय की थडी पर मिलने की बात कही। इस पर मन् टीएलओ मय एसीबी टीम व स्वतंत्र गवाहान के थाना मोड चौमू के लिए रवाना हुआ। मन् पुलिस निरीक्षक मय ट्रेप टीम व परिवादी के अपने अपने वाहनो से थाना मोड चौमू के पास एचपी पेट्रोल पम्प के पास समय 1.20 पीएम पर पहुचे व वाहनो को सडक किनारे खडा करवाया तथा परिवादी को डिजिटल वाईस रिकॉर्डर चालू करने के लिए कहा तो परिवादी ने समय करीब 1.26 पीएम डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर को चालु करने

पर परिवादी को रवाना किया तथा उसके साथ उसके मित्र श्री नरेन्द्र सिंह एवं स्वतंत्र गवाहान को रवाना किया तथा परिवादी के पीछे-पीछे ही श्री आलोक सउनि को रवाना किया गया तथा मन् पुलिस निरीक्षक मय शेष ट्रैप पार्टी सदस्यों के अपनी पहचान को छुपाते हुए गोपनीयरूप से थाना मोड चौंमू, एच पी पेट्रोल पंप के आस-पास परिवादी के निर्धारित ईशारे के लिए ट्रैप जाल बिछाकर मुकिम हुए। परिवादी एवं उसका मित्र श्री नरेन्द्र सिंह रवाना होकर थाना मोड के पास स्थित श्री राधा टी स्टॉल पर पहुचकर दलाल श्री भैरूराम यादव का इन्तजार करने लगे तथा कुछ समय एक व्यक्ति के आने पर यह आपस में वार्ता करने लगे। समय 02.42 पीएम पर श्री राधा टी स्टॉल से परिवादी श्री सुनील शर्मा ने पूर्व निर्धारित ईशारा किया जिस पर मन् पुलिस निरीक्षक मय एसीबी टीम एवं स्वतंत्र गवाहान के श्री राधा टी स्टॉल पर परिवादी के पास पहुचे। मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा परिवादी से विभागीय डिजिटल वॉयस रिकॉर्डर प्राप्त कर बंद कर सुरक्षित अपने पास रखा। चूंकि उक्त स्थान भीडभाड़ का है इसलिए परिवादी के बताए अनुसार संदिग्ध एसओ को मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा स्वयं का परिचय देकर हमराह जाप्ते की सहायता से उसके दोनो हाथों को पकड़ कर सरकारी वाहन में बिठाया। वहां परिवादी ने बताया कि टी स्टॉल पर भैंरूराम बाइक से मेरे पास आया और बोला कि कल यार आप आए नहीं तो मैंने बताया कि कल तो पूरे पैसे की व्यवस्था नहीं हुई आज पूरे एक लाया हू, तो भैरूराम ने बताया कि पटवारी नाराज हो रहा है फिर मैंने कहा कि मेरी बात करा दो तो भैंरूराम ने फोन लगाया तो पटवारी श्री सुरेन्द्र  कुमार स्वामी  का फोन स्वीच ऑफ आ रहा था इस पर मैंने भैंरूराम को रिश्वती राशि के 1,00000/- रूपए दिए जिनको भैंरूराम ने बाएं हाथ से प्राप्त कर अपनी पहनी हुई पेंट की आगे की बांयी साईड की जेब में रख लिए और मुझे कहा कि मैं ये पैसे उसे देने जाउंगा जब आपकी बात करा दूंगा मां की कसम। इसके पश्चात् उच्चाधिकारी के निर्देशानुसार हमराह आरोपी भैरूराम से संदिग्ध पटवारी श्री सुरेन्द्र  कुमार स्वामी  का पता लगाने व समुचित स्थान पर अग्रिम कार्यवाही किए जाने का निर्णय लिया गया। किंतु आरोपी भैरूराम ने बताया कि आरोपी सुरेन्द्र  कुमार स्वामी  पटवारी का फोन स्वीच ऑफ है और वो अब कहां मिलेगा मुझे जानकारी नही है। इस पर अग्रिम कार्यवाही किए जाने हेतु मन् पुलिस निरीक्षक हमराह जाप्ता मय स्वतंत्र गवाहान्, परिवादी व आरोपी के पीएचईडी कार्यालय उपखण्ड गोविन्दगढ, चौंमू जिला जयपुर पहुचे एवं हमराह जाप्ते से आरोपी भैंरूराम की मोटरसाईकिल भी साथ लेकर पहुचे। तत्पश्चात् मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा श्री भैंरूराम को पुनः स्वयं का परिचय देकर आने के मंतव्य से अवगत कराते हुए नाम पता पूछा तो उसने अपना नाम भैंरूराम यादव पुत्र स्व. मगलाराम यादव, उम्र 53 वर्ष, जाति यादव निवासी चारणवास, सीतारामपुरा तहसील चौंमू, जिला जयपुर होना व काश्तकार होना बताया। मन् टीएलओ द्वारा आरोपी श्री भैंरूराम यादव को परिवादी से लिये गये रूपयों के बारे में पूछा तो उसने बताया कि मैंने परिवादी से रूपये प्राप्त कर अपनी पहनी हुई पेंट की आगे की बांयी जेब में रखे है। जिनको स्वतंत्र गवाह श्री मोनू टोपिया से निकलवाकर गिनवाये गये तो नोटो की दो गड्डी मिली, कुल 200 नोट कुल राशि 1,00,000/- रूपए  जिनमें 500-500 के 102 नोट कुल राशि 51000/- भारतीय चलन मुद्रा के तथा 500 रूपए जैसे दिखने वाले 98 नोट भारतीय मनोरंजन बैंक की डमी करेंसी मिली, जिनको सुरक्षित स्वतंत्र गवाहान मोनू टोपिया के पास रखवाए गए। तत्पश्चात् मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा आरोपी भैंरूराम यादव से परिवादी श्री सुनील शर्मा से ली गयी रिश्वत राशि के बारे में पुछा तो आरोपी श्री भैंरूराम यादव घबरा गया, जिसे पुनः तसल्ली देकर पूछने पर आरोपी भैंरूराम यादव ने कहा कि मैंने नामान्तरण खुलवाने के लिए परिवादी से 1,00,000/- रूपए लिए थे, जिसमें से दस हजार रूपए मेरे लिए व नब्बे हजार आलीसर पटवारी श्री सुरेन्द्र  कुमार स्वामी  के लिए थे। इस पर मौके पर मौजूद परिवादी ने आरोपी भैंरूराम यादव के कथनो की खण्डन करते हुए कहा कि भैंरूराम यादव झूठ बोल रहा है इन्होंने मेरे से पटवारी आलीसर श्री सुरेन्द्र  कुमार स्वामी  के लिए ही 1,00,000/- रूपए रिश्वती राशि की मांग कर 1,00,000/- रूपए अपने बांए हाथ से प्राप्त कर अपनी पहनी हुई पेंट की आगे की बांयी तरफ की जेब में रख दिए। तत्पश्चात् मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा विभागीय डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर को चालू कर सरसरी तौर पर सुना गया तो आरोपी श्री भैंरूराम यादव द्वारा पटवारी आलीसर परिवादी से 1,00,000/- रिश्वत राशि लेने के तथ्यों की ताईद हुई। मन् टीएलओ द्वारा आरोपी श्री भैंरूराम से इसके पश्चात आरोपी श्री भैंरूराम यादव के दोनो हाथों के धोवन की कार्यवाही प्रारम्भ की गई, जिसमें आरोपी के दोनो हाथों के धोवन लेने के लिए ट्रेप बॉक्स से दो नये पारदर्शी प्लास्टिक डिस्पोजल गिलास निकलवाकर, बोतल में साफ पानी मंगवाकर ट्रेप बॉक्स में रखे सोडियम कार्बोनेट पाउडर का डिब्बा निकलवाकर उक्त गिलासो में एक-एक प्लास्टिक के चम्मच से सोडियम कार्बोनेट पाउडर डालकर घोल तैयार करवाया गया। तैयारशुदा घोल को स्वतंत्र गवाहान व समस्त हाजरीन को दिखाया गया तो सभी ने घोल के रंग को रंगहीन होना स्वीकार किया। तत्पश्चात् प्लास्टिक के डिस्पोजल गिलास के तैयारशुदा घोल में आरोपी श्री भैंरूराम यादव के दांहिने हाथ की अंगुलियां व अंगूठे को डुबोकर धुलवाया गया तो धोवन का रंग गदमैला हो गया, जिसको हाजरीन व स्वतंत्र गवाहान को दिखाया गया तो सभी ने घोल के रंग को गदमैला बताया, जिसे दो साफ कांच की शीशियों में आधा-आधा डालकर शील्ड मोहर कर मार्क R-1 व R-2 अंकित कर स्वतंत्र गवाहन, आरोपी भैंरूराम यादव एवं परिवादी के हस्ताक्षर करवाकर कब्जा ए0सी0बी0 लिया गया। तत्पश्चात् इसी प्रक्रियानुसार दूसरे तैयारशुदा सोडियम कार्बोनेट पाउडर के घोल में आरोपी भैरूराम यादव के बांये हाथ की अंगूलियां व अंगूठे को डुबोकर धुलवाया गया तो धोवन का रंग हल्का गुलाबी हो गया, जिसे समस्त हाजरीन को दिखाया गया तो सभी ने धोवन के रंग को हल्का गुलाबी होना बताया, जिसे दो कांच की साफ शिशियों में आधा-आधा डालकर शील्ड मोहर कर मार्क

L-1 व L-2 अंकित कर स्वतंत्र गवाहन, आरोपी एवं परिवादी के हस्ताक्षर करवाकर कब्जा एसीबी लिया गया। तत्पश्चात आरोपी श्री भैरूराम के लिए पायजामा की व्यवस्था कर उसकी पहनी हुई पेंट को सम्मानपूर्वक उतरवाया जाकर आरोपी की पेंट के सामने की बांयी तरफ की जेब जहां से रिश्वत राशि बरामद हुई, का धोवन लेने हेतु एक नए पारदर्शी प्लास्टिक डिस्पोजल गिलास में साफ पानी डालकर उसमें एक प्लास्टिक की चम्मच से सोडियम कार्बोनेट पाउडर डालकर घोल तैयार करवाया गया। तैयारशुदा घोल को स्वतंत्र गवाहान व समस्त हाजरीन को दिखाया गया तो सभी ने घोल के रंग को रंगहीन होना स्वीकार किया और उक्त पेंट के सामने की बांयी जेब जिसमें से रिश्वत राशि बरामद की गई थी को उल्टा कर तैयारशुदा घोल में डुबोकर धोया गया तो घोल का रंग गुलाबी हो गया, जिसको हाजरीन व स्वतंत्र गवाहान को दिखाया गया तो सभी ने घोल के रंग को गुलाबी होना बताया, जिसे दो साफ कांच की शीशियों में आधा-आधा डालकर शील्ड मोहर कर मार्क P-1 व P-2 अंकित किया जाकर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये गये तथा पेंट को सुखाकर जेब पर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाकर पेंट को एक सफेद कपडे की थैली में रखकर, थैली को शील्डमोहर कर मार्क P अंकित कर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये जाकर कब्जा ए0सी0बी0 लिया गया। इसके पश्चात स्वतन्त्र गवाह मोनू टोपिया के पास रखवाई गई रिश्वत राशि को पुनः गिनवाया गया तो 500-500 रूपये के 102 नोट कुल राशि 51000/-रूपये भारतीय चलन मुद्रा के होना बताए तथा शेष 500-500 के 98 नोट भारतीय मनोरंजन बैंक/डमी करेंसी होना बताया। दोनो स्वतंत्र गवाहान से उक्त भारतीय चलन मुद्रा के 500-500 रूपए के 102 नोट कुल राशि 51000/- रूपए के नम्बरो का मिलान पूर्व में बनाई गई फर्द पेशकशी से करवाया गया तो दोनो स्वतंत्र गवाहन ने हुबहु होना बताया जिनका विवरण निम्नानूसार है

1. एक नोट 500 रूपये का नम्बरी 4NF175935
2. एक नोट 500 रूपये का नम्बरी 7CM439439
3. एक नोट 500 रूपये का नम्बरी 9QG709336
4. एक नोट 500 रूपये का नम्बरी 2CH352345
5. एक नोट 500 रूपये का नम्बरी 1AA618538
6. एक नोट 500 रूपये का नम्बरी 4ET861161
7. एक नोट 500 रूपये का नम्बरी 3SR441666
8. एक नोट 500 रूपये का नम्बरी 3SR441667
9. एक नोट 500 रूपये का नम्बरी 3SR441668
10. एक नोट 500 रूपये का नम्बरी 3SR441669
11. एक नोट 500 रूपये का नम्बरी 7HK381159
12. एक नोट 500 रूपये का नम्बरी 9AD632548
13. एक नोट 500 रूपये का नम्बरी 8PD412195
14. एक नोट 500 रूपये का नम्बरी 1RH118519
15. एक नोट 500 रूपये का नम्बरी 0AE720050
16. एक नोट 500 रूपये का नम्बरी 9RU458521
17. एक नोट 500 रूपये का नम्बरी 8QR785288
18. एक नोट 500 रूपये का नम्बरी 8SR683431
19. एक नोट 500 रूपये का नम्बरी 9WN748611
20. एक नोट 500 रूपये का नम्बरी 2KK552334
21. एक नोट 500 रूपये का नम्बरी 2GF344959
22. एक नोट 500 रूपये का नम्बरी 5KH156538
23. एक नोट 500 रूपये का नम्बरी 6QH526960
24. एक नोट 500 रूपये का नम्बरी 3DU615010
25. एक नोट 500 रूपये का नम्बरी 9CV729752
26. एक नोट 500 रूपये का नम्बरी 8HK232849
27. एक नोट 500 रूपये का नम्बरी 9AG011756
28. एक नोट 500 रूपये का नम्बरी 1KS178466
29. एक नोट 500 रूपये का नम्बरी 4HR426639
30. एक नोट 500 रूपये का नम्बरी 8ST809385
31. एक नोट 500 रूपये का नम्बरी 6TE069336
32. एक नोट 500 रूपये का नम्बरी 5FR402167
33. एक नोट 500 रूपये का नम्बरी 5WK235701

34. एक नोट 500 रूपये का नम्बरी 0PU951185
35. एक नोट 500 रूपये का नम्बरी 3CU185191
36. एक नोट 500 रूपये का नम्बरी 7BB434722
37. एक नोट 500 रूपये का नम्बरी 8SD918906
38. एक नोट 500 रूपये का नम्बरी 0MG420225
39. एक नोट 500 रूपये का नम्बरी 6HH370036
40. एक नोट 500 रूपये का नम्बरी 7QG497564
41. एक नोट 500 रूपये का नम्बरी 6CF319292
42. एक नोट 500 रूपये का नम्बरी 8GE950178
43. एक नोट 500 रूपये का नम्बरी 5CQ612713
44. एक नोट 500 रूपये का नम्बरी 8QC061039
45. एक नोट 500 रूपये का नम्बरी 0KR554004
46. एक नोट 500 रूपये का नम्बरी 9CT654889
47. एक नोट 500 रूपये का नम्बरी 7HB522799
48. एक नोट 500 रूपये का नम्बरी 8VD788552
49. एक नोट 500 रूपये का नम्बरी 5EB678582
50. एक नोट 500 रूपये का नम्बरी 3SK468377
51. एक नोट 500 रूपये का नम्बरी 8QF210941
52. एक नोट 500 रूपये का नम्बरी 3AE960847
53. एक नोट 500 रूपये का नम्बरी 4MN594580
54. एक नोट 500 रूपये का नम्बरी 9CP831550
55. एक नोट 500 रूपये का नम्बरी 9FK705343
56. एक नोट 500 रूपये का नम्बरी 8AM162530
57. एक नोट 500 रूपये का नम्बरी 3MV416516
58. एक नोट 500 रूपये का नम्बरी 2CV158539
59. एक नोट 500 रूपये का नम्बरी 7QT440627
60. एक नोट 500 रूपये का नम्बरी 2PB470639
61. एक नोट 500 रूपये का नम्बरी 8CN118272
62. एक नोट 500 रूपये का नम्बरी 5VP708397
63. एक नोट 500 रूपये का नम्बरी 7SQ963205
64. एक नोट 500 रूपये का नम्बरी 4NL085111
65. एक नोट 500 रूपये का नम्बरी 8VQ149604
66. एक नोट 500 रूपये का नम्बरी 3BS976671
67. एक नोट 500 रूपये का नम्बरी 0SN546982
68. एक नोट 500 रूपये का नम्बरी 0RU332920
69. एक नोट 500 रूपये का नम्बरी 2UD855576
70. एक नोट 500 रूपये का नम्बरी 6UU168753
71. एक नोट 500 रूपये का नम्बरी 5BM761312
72. एक नोट 500 रूपये का नम्बरी 4FR677925
73. एक नोट 500 रूपये का नम्बरी 8WD584010
74. एक नोट 500 रूपये का नम्बरी 4VE758237
75. एक नोट 500 रूपये का नम्बरी 6VK918358
76. एक नोट 500 रूपये का नम्बरी 0CT410599
77. एक नोट 500 रूपये का नम्बरी 5TB728372
78. एक नोट 500 रूपये का नम्बरी 0FP734348
79. एक नोट 500 रूपये का नम्बरी 6BB258131
80. एक नोट 500 रूपये का नम्बरी 6BB258132
81. एक नोट 500 रूपये का नम्बरी 8WD584015

82. एक नोट 500 रूपये का नम्बरी 8WD584016
83. एक नोट 500 रूपये का नम्बरी 4LB813862
84. एक नोट 500 रूपये का नम्बरी 3AM834708
85. एक नोट 500 रूपये का नम्बरी 9EG307434
86. एक नोट 500 रूपये का नम्बरी 1QG532269
87. एक नोट 500 रूपये का नम्बरी 1FA907756
88. एक नोट 500 रूपये का नम्बरी 8CM939865
89. एक नोट 500 रूपये का नम्बरी 4EK818940
90. एक नोट 500 रूपये का नम्बरी 9CD691616
91. एक नोट 500 रूपये का नम्बरी 2GF591596
92. एक नोट 500 रूपये का नम्बरी 8TA038194
93. एक नोट 500 रूपये का नम्बरी 0CH527685
94. एक नोट 500 रूपये का नम्बरी 7VG179194
95. एक नोट 500 रूपये का नम्बरी 8UV016577
96. एक नोट 500 रूपये का नम्बरी 2CH352323
97. एक नोट 500 रूपये का नम्बरी 2CH352322
98. एक नोट 500 रूपये का नम्बरी 2CH352342
99. एक नोट 500 रूपये का नम्बरी 2CH352321
100. एक नोट 500 रूपये का नम्बरी 2CH352344
101. एक नोट 500 रूपये का नम्बरी 6CM117798
102. एक नोट 500 रूपये का नम्बरी 8TM641943

उपरोक्त 102 नम्बरी नोटो एवं डमी करेन्सी के 98 नोट के साथ एक तरफ से सफेद कागज में लपेटकर शील्ड मोहर कर मार्क M अंकित कर संबंधित के हस्ताक्षर करवाकर बतौर वजह सूबत कब्जा ए0सी0बी0 लिए गये।आरोपी श्री भैंरूराम यादव दलाल (प्राईवेट व्यक्ति) को विभागीय डिजीटल वॉईस रिकॉर्डर में लगे मेमोरी कार्ड में दर्ज रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता दिनांक 01.07.2026 एवं रिश्वत राशि लेन-देन वार्ता दिनांक 02.07.2026 में दर्ज स्वयं की आवाज का एफएसएल, जयपुर से परीक्षण करवाने हेतु नमूना आवाज देने के लिए पृथक से नोटिस दिया गया, जिस पर आरोपी श्री भैंरूराम यादव दलाल (प्राईवेट व्यक्ति) ने अपनी आवाज का नमूना देने से लिखित में इन्कार किया। पूर्व में आरोपी श्री सुरेन्द्र कुमार स्वामी पटवारी पटवार हल्का आलीसर तह. चौमू जिला जयपुर एवं दलाल श्री भैरूराम यादव द्वारा परिवादी श्री सुनिल शर्मा से मांग सत्यापन दिनांक 01.07.2026 को रिश्वत राशि 1 लाख रूपये की मांग की गई, इसलिए आरोपी श्री सुरेन्द्र कुमार स्वामी पटवारी को डिटेन/निगरानी करने के लिए श्री सत्येन्द्र सहायक उप निरीक्षक व श्री जितेन्द्र कानि, बलराम कानि व दिनेश कानि को पाबन्द रखा, जिनको आरोपी श्री सुरेन्द्र कुमार स्वामी पटवारी डिटेन करने के लिए कहने पर बताया कि आरोपी श्री सुरेन्द्र कुमार स्वामी पटवारी कही चला गया। जिसको पीछा करने के लिए कहा गया। काफी प्रयास करने पर आरोपी श्री सुरेन्द्र कुमार स्वामी पटवारी नहीं मिला तथा आरोपी सुरेन्द्र कुमार स्वामी का मोबाईल फोन स्वीच ऑफ होने के कारण आरोपी एवं दलाल के मध्य वार्ता नही करवायी जा सकी। आरोपी सुरेन्द्र कुमार स्वामी की तलाश बाबत अति. पुलिस अधीक्षक चौकी हाजा मय हमराह जाप्ता के आलीसर रवाना हुए। किन्तु काफी प्रयास उपरान्त भी आरोपी पटवारी नही मिलकर फरार हो गया जिस पर अति. पुलिस अधीक्षक मय हमराह जाप्ता के पुनः मन् पुलिस निरीक्षक के पास पीएचडी उपखण्ड गोविन्दगढ चौमू पहुचे। आरोपी श्री भैंरूराम यादव प्राईवेट व्यक्ति को रिश्वत मांग सत्यापन दिनांक 01.07.2026 हुई रिकार्ड वार्ता व दिनांक 02.07.2026 को वक्त रिश्वत राशि लेन-देन परिवादी हुई रिकार्डेड वार्ताओ में मौजुद स्वयं की आवाजो का एफएसएल, से परीक्षण करवाने के लिए अपनी आवाज का नमूना देने हेतु नोटिस जरिये पत्रांक एसपीएल-01 दिया गया, जिस पर आरोपी श्री भैरूराम यादव दलाल (प्राईवेट व्यक्ति) ने अपनी आवाज का नमूना देने से लिखित में इन्कार किया। आरोपी श्री भैरूराम यादव दलाल (प्राईवेट व्यक्ति) द्वारा दिये गये प्रत्युत्तर नोटिस को शामिल पत्रावली किया गया। इस समय आरोपी दलाल श्री भैरूराम यादव (प्राईवेट व्यक्ति) के जरिये फर्द गिरफ्तारी के आधार व जमानत के अधिकार की सूचना अन्तर्गत धारा 47, 38, 36(ग) बीएनएसएस से दी गई। उक्त कार्यवाही की फर्द पर आरोपी श्री भैरूराम यादव (प्राईवेट व्यक्ति) के हस्ताक्षर कराये गये। तत्पश्चात आरोपी श्री भैंरूराम यादव पुत्र स्व. मगलाराम यादव निवासी चारणवास, सीतारामपुरा तहसील चौंमू, जिला जयपुर के विरूद्ध जुर्म धारा धारा 7, 7ए, 12 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधन 2018) व धारा 61(2) बीएनएस 2023 के तहत प्रथम दृष्टया प्रमाणित पाया जाने पर आरोपी श्री भैंरूराम यादव प्राईवेट व्यक्ति को नियमानुसार पृथक से जरिये फर्द गिरफ्तार किया। मन् पुलिस निरीक्षक ने स्वतंत्र गवाहन श्री मोनू टोपिया व श्री महेश सारवान की मौजुदगी में परिवादी श्री सुनिल शर्मा की निशादेही से घटनास्थल का निरीक्षण

कर नक्शा मौका मूर्तिब कर शामिल कार्यवाही किया गया। तत्पश्चात समय 08.15 पीएम पर सम्पूर्ण ट्रेप कार्यवाही सम्पन्न होने के पश्चात मन् टीएलओ मय जाप्ते के मय शेष ट्रेप टीम सदस्य, स्वतंत्र गवाहन, आरोपी के धोवन की शील्डशुदा शीशीयां, जब्तशुदा आर्टिकल्स, बरामदशुदा रिश्वती राशि 100000/रूपये मय लेपटोप प्रिन्टर के जरिये सरकारी वाहन, मोटरसाईसाईकिल से ब्यूरो कार्यालय के लिए रवाना होकर समय 09.40 पीएम पर ब्यूरो कार्यालय पहुचे तथा जब्तशुदा आर्टीकल्स को कार्यालय की आलमारी में सुरक्षित रखवाया गया। दिनांक 03.07.2026 को परिवादी व स्वतंत्र गवाहान के उपस्थित आने पर मन् पुलिस निरीक्षक ने परिवादी व स्वतत्रं गवाहान के समक्ष को इस समय स्वतंत्र गवाहन श्री महेश सारवान व श्री मोनू टोपियाँ व परिवादी श्री सुनील शर्मा के समक्ष मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा अपने पास सुरक्षित रखे गये रिश्वत मांग सत्यापन वार्ताओं का मैमोरी कार्ड DAICHI Micro SD 32 GB जिसमें रिश्वत मांग सत्यापन के दौरान दिनांक 01.07.2026 को परिवादी श्री सुनील शर्मा व आरोपी श्री सुरेन्द्र कुमार स्वामी पटवारी पटवार हलका आलीसर तहसील चौमू जयपुर व आरोपी श्री भैरूराम यादव प्राईवेट व्यक्ति के मध्य हुई वार्ता तथा दिनांक 02.07.2026 को रिश्वत राशि लेन-देन के समय परिवादी श्री सुनील शर्मा व आरोपी श्री भैरूराम यादव प्राईवेट व्यक्ति के मध्य हुई वार्ता मैमोरी कार्ड DAICHI Micro SD 32 GB में वार्ताएंसेव है। उक्त रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता व रिश्वत राशि लेन-देन वार्ताओ के मैमोरी कार्ड को विभागीय लेपटोप से कनेक्ट कर चलाकर स्वतंत्र गवाहन व परिवादी को सुनाया गया तो परिवादी श्री सुनील शर्मा ने एक आवाज अपनी व दूसरी आरोपी श्री सुरेन्द्र कुमार स्वामी पटवारी पटवार हलका आलीसर तहसील चौमू जयपुर व अन्य आवाज आरोपी श्री भैरूराम यादव प्राईवेट व्यक्ति की पहचान कर उनकी होना बताई, उक्त रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता व रिश्वत लेन-देन वार्ताओ का शब्द ब शब्द रूपान्तरण तैयार किया गया। रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता एवं वक्त रिश्वत लेन-देन वार्ताओ का रूपान्तरण फर्द में अंकित कर वार्ता रूपान्तरण को परिवादी श्री सुनील शर्मा व स्वतन्त्र गवाहान से चैक करवाया जाकर सही होना सुनिश्चित किया गया। उक्त वार्ता रूपान्तरण तैयार करने के बाद 03 खाली नये पैन ड्राईव OSCOO 32 GB मंगवाकर खाली होना सुनिश्चित किया जाकर रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता के मैमोरी कार्ड DAICHI Micro SD 32 GB व रिश्वती राशि लेन-देन वार्ताओ के विभागीय डिजीटल वॉईस रिकॉर्डर मय मैमोरी कार्ड DAICHI Micro SD 32 GB को विभागीय लेपटोप से जोडकर उक्त रिकार्ड वार्ताओ की फाईल्स को बारी-बारी मैमोरी कार्ड से पृथक पृथक 03 पैन ड्राईव में कॉपी/पेस्ट किया गया। वॉईस फाईल्स को पैन ड्राईव में सेव होना सुनिश्चित किया जाकर सभी 03 पैन ड्राईव पर क्रमशः मार्क A,B,C अंकित किये गये। तत्पश्चात् उक्त मैमोरी कार्ड में उपलब्ध वॉईस फाईल्स का एफटीके इमेजर से हैश वैल्यू निकाली जाकर हैश वैल्यू रिपोर्ट का प्रिन्ट लिया जाकर शामिल फर्द किया गया। उपरोक्तानुसार मूल मैमोरी कार्ड व मैमोरी काड्र्स की निकाली गई हैश वैल्यू का मिलान होना पाया गया। उक्त पैन ड्राईव मार्क A(कन्ट्रोल सैम्पल) पैन ड्राईव को कागज के कवर मे रखकर एक सफेद कपडे की थैली में डालकर सील्ड मोहर कर थैली पर मार्क A अंकित किया जाकर संबंधितो के हस्ताक्षर करवाये गये एवं पैन ड्राईव मार्क B (एडीपी कॉपी), मार्क C (अनुसंधान प्रयोजनार्थ) को खुली अवस्था में पत्रावली के संलग्न रखा गया। रिश्वत मांग सत्यापन व लेन देन वार्ता हेतु काम में लिया गया मूल मैमोरी कार्ड DAICHI Micro SD 32 GB को मार्क MC अंकित किया जाकर पृथक-पृथक कागज के कवर में रखकर कपड़े की थैली में रखकर शील्ड मोहर कर मार्क क्रमशः MC अंकित कर संबंधितो के हस्ताक्षर करवाये गये। उक्त कार्यवाही फर्द तैयार की जाकर सम्बंधितो के हस्ताक्षर कराये गये। ट्रैप कार्यवाही के दौरान विभागीय केमरे में नियमानुसार विडियो रिकॉर्डिंग करवायी गयी थी, जो मेमोरी कार्ड में रिकॉर्ड है उक्त मेमोरी कार्ड को एडेपटर में लगाकर उपरोक्त कार्यावाही के विडीयो रिकॉर्डिंग के मेमोरी कार्ड बनाने हेतु कार्यालय से तीन खाली नये मेमोरी कार्ड प्राप्त कर मेमोरी कार्ड को खाली होना सुनिश्चित कर कर कार्यालय के लेपटॉप की सहायता से मूल सोर्स मेमोरी कार्ड से तीनो मेमोरी कार्ड में क्रमशः कॉपी/पेस्ट किया गया व तीनो मेमोरी कार्ड में वीडीयो होना सुनिश्चित कर तीनो मेमोरी कार्ड को मार्क X,Y,Z अंकित किया जाकर उक्त मूल मेमोरी sandisk 16 GB तथा तीनो मेमोरी कार्ड मार्क X,Y,Z की हैश वैल्यू निकाली गई। मार्क X,Y को पृथक- पृथक प्लास्टिक के कवर मे डालकर पृथक- पृथक कपड़े की थैली में शील्ड मोहर संबंधितो के हस्ताक्षर करवाये तथा मार्क Z को अनुसंधान प्रयोजनार्थ खुली रखी गई। मूल मेमोरी sandisk 16 GB को प्लास्टिक के कवर में रखकर सफेद कपडे की थैली में रखकर सील्ड मोहर किया एवं थैली पर मार्क MC-1 अंकित कर संबंधितो के हस्ताक्षर करवाये गये। उक्त कार्यवाही फर्द तैयार की जाकर सम्बंधितो के हस्ताक्षर कराये गये। अब तक की गई सम्पूर्ण ट्रेप कार्यवाही से आरोपी श्री सुरेन्द्र कुमार स्वामी पुत्र श्री बंशीधर स्वामी उम्र 52 साल निवासी मु.पोस्ट जुनसिया तहसील किशनगढ रेनवाल जिला जयपुर हाल पटवारी पटवार हल्का आलीसर तहसील चौमू जिला जयपुर एक लोकसेवक होते हुऐ अपने पदीय कर्तव्यां को दुरूपयोग कर आरोपी भैंरूराम यादव दलाल (प्राईवेट व्यक्ति) से मिलीभगत कर अपने वैद्य पारिश्रमिक से भिन्न अवैद्य पारितोषण प्राप्त करने के आशय परिवादी श्री सुनील शर्मा से उसकी चारणवास स्थित 0.5880 हैक्टेयर भूमि का नामान्तरण खोलने के वैद्य कार्य की एवज में दिनांक 01.07.2026 को आरोपी भैंरूराम यादव दलाल (प्राईवेट व्यक्ति) एवं श्री सुरेन्द्र कुमार स्वामी पटवारी हल्का पटवारी आलीसर, तह. चौमू, जिला जयपुर द्वारा परिवादी श्री सुनील शर्मा से 1,00,000/- रूपए रिश्वती राशि की मांग कर एवं उक्त मांग के अनुसरण में दिनांक 02.07.2026 को वक्त रिश्वती राशि लेन-देन आरोपी श्री भैरूराम यादव दलाल (प्राईवेट व्यक्ति) द्वारा श्री सुरेन्द्र कुमार स्वामी , पटवार हल्का आलीसर, तह. चौमू, जिला जयपुर के लिए

परिवादी से रिश्वत राशि 1,00,000/- रूपए बांऐ हाथ से प्राप्त कर अपनी पहनी हुई पेंट के सामने की बांयी तरफ की जेब में रखना व उक्त जेब से रिश्वत राशि बरामद होना पाया। आरोपीगण श्री भैरूराम यादव दलाल (प्राइवेट व्यक्ति) एवं श्री सुरेन्द्र कुमार स्वामी पटवारी पटवार हल्का, आलीसर का उक्त कृत्य जुर्म अन्तर्गत धारा 7, 7ए, 12 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) एवं 61(2) बी.एन.एस 2023 के तहत प्रथम दृष्टया प्रमाणित पाये जाने पर प्रकरण उपरोक्त धारा में पंजीबद्ध किये जाने हेतु बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट वास्ते क्रमांकन अग्रीम कार्यवाही हेतु प्रेषित है। (रामजीलाल) पुलिस निरीक्षक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो जयपुर नगर चतुर्थ जयपुर...........कार्यवाही पुलिस..........प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईपशुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री रामजीलाल, पुलिस निरीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर नगर-चतुर्थ जयपुर ने प्रेषित की है मजमून रिपोर्ट से जुर्म अन्तर्गत 7, 7ए, 12 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) एवं 61(2) बीएनएस 2023 में आरोपीगण 1- श्री सुरेन्द्र कुमार स्वामी पुत्र श्री बंशीधर स्वामी उम्र 52 साल निवासी मु.पोस्ट जुनसिया तहसील किशनगढ रेनवाल जिला जयपुर हाल पटवारी पटवार हल्का आलीसर तहसील चौमू जिला जयपुर एवं 2- श्री भैंरूराम यादव पुत्र स्व0 श्री मगलाराम यादव, उम्र 53 वर्ष, जाति यादव, निवासी चारणवास, सीतारामपुरा, तहसील चौंमू, जिला जयपुर दलाल (प्राईवेट व्यक्ति) के विरूद्ध पंजीबद्ध कर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियां नियमानुसार जारी की गई। उक्त प्रकरण में अनुसंधान अधिकारी श्री भूपेन्द्र, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर नगर-प्रथम जयपुर को मनोनित किया गया है। उक्त की रोजनामचाआम 116 पर अंकित है। (गोरधन लाल सौंकरिया) पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर। क्रमांक 1122-25 दिनांक 07.07.2026 प्रतिलिपि सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः-1- विशिष्ठ न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, क्रम संख्या-01, जयपुर 2- जिला कलक्टर, जयपुर 3 -उप महानिरीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, आयुक्तालय जयपुर 4- अति. पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर नगर-चतुर्थ जयपुर । पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर।

13. Action taken : Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.
**(की गई कार्यवाही: चूँकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता हैं कि अपराध करने का तरीका मद सं.2 में उल्लेख धारा के तहत हैं):**

(1) **Registered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जाँच के लिए लिया गया):**

**or (या)**

(2) **Directed (Name of I.O.): (जाँच अधिकारी का नाम ):** Bhupendra **Rank (पद):** अपर पुलिस अधीक्षक

**No(सं.):** **to take up the Investigation (को जाँच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or(या)**

(3) **Refused investigation due to (जाँच के लिए) :**

**or (के कारण इंकार किया, या)**

(4) **Transferred to P.S.(थाना):** **District (जिला):**

**on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित) .**

F.I.R.read over to the complainant/informant,admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant/informant free of cost.

**(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गई, सही दर्ज हुई माना और एक प्रति निःशुल्क शिकायतकर्ता को दी गई|)**
**R.O.A.C.(आर.ओ.ए.सी.)**

14. **Signature/Thumb impression of the complainant / informant**
**(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान):**

**Signature of Officer in charge, Police Station**
**(थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)**

Signed by: Gordhan Lal Sonkaria
Location: Rajasthan,IN
Date: 07/07/2026 18:10:38

15. **Date and time of dispatch to the court**
**(अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):**

**Name(नाम):** GORDHAN LAL SONKARIA
**Rank (पद):** SP (Superintendant of Police)
**No(सं.):**

Attachment to item 7 of First Information Report (प्रथम सूचना रिपोर्ट के मद 7 संलग्नक):

Physical features, deformities and other details of the suspect/accused:(If known/seen )
(संदिग्ध / अभियुक्त की शारीरिक विशेषताएँ, विकृतियाँ और अन्य विवरण :(यदि ज्ञात / देखा गया))

| S.No.(क्र.सं.) | Sex (लिंग) | Date/Year of Birth ( जन्म तिथि / वर्ष) | Build (बनावट) | Height(cms.) (कद(से.मी)) | Complexion (रंग ) | Identification Mark(s) (पहचान चिन्ह) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Male | 1974 | | | | |
| 2 | Male | 1973 | | | | |

| Deformities/ Peculiarities (विकृतियाँ/ विशिष्टताएँ) | Teeth (दाँत) | Hair (बाल) | Eyes (आँखें) | Habit(s) (आदतें) | Dress Habit(s) (पहनावा) |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | | | | |
| | | | | | |

| Language /Dialect (भाषा /बोली) | Place Of(का स्थान) | | | | | Others (अन्य) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Burn Mark (जले हुए का निशान) | Leucoderma (धवल रोग ) | Mole (मस्सा) | Scar (घाव) | Tattoo (गूदे हुए का) | |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

These fields will be entered only if complainant/informant gives any one or more particulars about the suspect/accused.
(यह क्षेत्र तभी दर्ज किए जाएंगे यदि शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता संदिग्ध / अभियुक्त के बारे में कोई एक या उससे अधिक जानकारी देता है |)